न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—60 / 2020 (2020 / 00180) वाद पत्र

अनवान

1—भीमदास पिता मोहनदास रंगास्वामी निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—कानदास पिता मोहनदास रगांस्वामी निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1—रोशनलाल पिता जीवणराम खटीक निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित
1. हरिश टेलर — अधिवक्ता वादीगण

दिनांक 19.04.2022

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम जगपुरा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादीगण के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं संयुक्त कब्जे काश्त की आराजी संख्या 670 / 329 रकबा 0.04 हैं0 भूमि राजस्व खाता संख्या 97 पर दर्ज होकर स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी मय नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किया है। उक्त वर्णित आराजियात के मूल नम्बर 329 में होकर हमारे अन्य भाईयो ने उनके हिस्से की भूमियां अन्य को विक्रय कर देने से व विभाजन करा देने से आराजी संख्या 670 / 329 रकबा 0.04 हैं0 भूमि वादीगण के संयुक्त खातेदार अधिकार में रखी हुई है। इस भूमि पर काबिज हो इसका उपयोग उपभोग कर रहे है। वादीगण की उक्त भूमि पर वादीगण के मृतक पूर्वजों की समाधियां होकर चबुतरें बने हुए हैं, और उस पर मुर्तियां स्थापित की हुई है। जिसकी वादीगण पुजा अर्चना कर रहे हैं। प्रतिवादीगण संख्या 01 का इस भूमि से कोई लेना—देना नहीं हैं। न ही कोई हक, दखल या अधिकार ही हैं, किन्तु आये दिन प्रतिवादी संख्या 01 हमें जबरन इस भूमि से बेदखल करने की नियत रखता है। और वहां पर भू—माफियों को लाता हैं, और वादीगण की उक्त आराजी को भी खुद की बताकर इस प्लाट काटने की बात कहता हैं। इस प्रकार आये दिन हमें धमकी देकर हम वादीगण के उपयोग उपभोग में नाजायज दखलदांजी करता रहता हैं तथा दिनांक 03.09.2020 को प्रतिवादीगण संख्या 01 ने हम वादीगण की उक्त आराजी में जबरन ताकत के बल पर जेसीबी ले जाकर नींव खुदवा दी व अब हमारी समाधियों की जगह दीवार निर्माण हेतु नीवें भरना प्रारम्भ कर दिया तथा हम मौके पर गये तो प्रतिवादीगण संख्या 01 ने कहा कि मैं तो तुम्हारी इन समाधियों के चबुतरों को यहां से हटाऊंगा, तुम इनको घर पर ले जाओं, और ज्यादा होशियारी की तो मैं तुम्हारे हाथ—पैर तोड़ दूंगा। इस प्रकार प्रतिवादीगण संख्या 01 जबरन हमें बेदखल करने की साजिश कर रहा है, जिससे [illegible] के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी फरमाया जाना नितान्त आवश्यक हो गया है। [illegible] वादीगण द्वारा हमें जबरन बेदखल करने का उपक्रम कर हम वादीगण की [illegible] खातेदारी [illegible] स्थापित हम वादीगण के मृतक पूर्वजों की समाधियों के चबुतरों को चारदीवारी [illegible] चाहते हैं व [illegible] करना चाहते हैं, जिससे हम परिवार की आस्था विद्यमान है, उसकी [illegible] भंग कर हम वादीगण [illegible] धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना चाहता हैं, जिससे भी उनके विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी फरमया

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.05.10 14:13:27 IST
Reason: SelfAttested

जाना आवश्यक हो गया है। प्रतिवादीगण संख्या 01 जबरन ताकत के बल पर हम वादीगण को बेदखल करके हम वादीगण के उक्त खातेदारी भूमि पर हमारे पूर्वजों की समाधियों के चबुतरों को ध्वस्त कर हम वादीगण की उक्त भूमि पर नाजायज कब्जा करने पर आमदा है इसलिये प्रतिवादीगण संख्या 01 ने नीवें खोद दी व जबरन निर्माण करा हमें बेदखल करना चाह रहा हैं। अतः वादीगण की सादर प्रार्थना है कि स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण के इस आशय की जारी फरमावे कि उक्त वर्णित आराजियात में वादीगण के उपयोग उपभोग में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दंखलदाजी न तो स्वयं करे न अन्य से करावे। तथा प्रतिवादीगण वादीगण को उनके कब्जे से जबरन ताकत के बल पर बेदखल न तो स्वयं करे न अन्य से करावे।

प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किया गया। सम्मन की पालना में प्रतिवादी संख्या 1 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया एवं प्रतिवादी संख्या 2 फोरमल पक्षकार है।

अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस चुनी गई।

वादी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में वादवर्णित तथ्यो को दोहराते हुए मुख्यकिया कि वादी वादवणित भूमि का खातेदार कृषक है प्रतिवादी का इस भूमि से कोई लेना देना नही है। वादीगण की भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ताकत के बल पर निर्माण करने पर आमादा है जिससे उसके विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना फरमावे।

मैने पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया एव वादी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तो पाया कि वादीगण आराजी संख्या 670 / 329 रकबा 0.04 है0 के खातेदार काश्तकार है। वादीगण की वादवर्णित भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 का कोई हक अधिकार नही है और प्रकरण में प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब करने के बावजुद भी उपस्थित नही हुआ साथ ही प्रतिवादी को प्रर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के बाद भी उपस्थित नही हुआ है जिससे भी यह प्रमाणित कि प्रतिवादी को वाद से कोई आपत्ति नही है। ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि ग्राम जगपुरा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादीगण के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं संयुक्त कब्जे काश्त की आराजी संख्या 670 / 329 रकबा 0.04 है0 भूमि में वादीगण के उपयोग उपभोग में प्रतिवादी संख्या 1 किसी प्रकार की दंखलदाजी न तो स्वयं करे न अन्य से करावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण को उनके कब्जे से जबरन ताकत के बल पर बेदखल न तो स्वयं करे न अन्य से करावे एवं वादीगण की उक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 किसी प्रकार का कोई निर्माण न तो स्वयं करे न अन्य से करावे। इसी अनुसार डिक्री जारी हो खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 19.04.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.05.10 14:13:27 IST
Reason: SelfAttested

19/4/2022

सुन्दरलाल बम्बोडा
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे डिक्री
(आदेश 20 रूल्य 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–60 / 2020 (2020 / 00180) वाद पत्र

अनवान

1–भीमदास पिता मोहनदास रंगास्वामी निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–कानदास पिता मोहनदास रगांस्वामी निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1–रोशनलाल पिता जीवणराम खटीक निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वाद वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि ग्राम जगपुरा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादीगण के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं संयुक्त कब्जे काश्त की आराजी संख्या 670 / 329 रकबा 0.04 है0 भूमि में वादीगण के उपयोग उपभोग में प्रतिवादी संख्या 1 किसी प्रकार की दंखलदाजी न तो स्वयं करे न अन्य से करावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण को उनके कब्जे से जबरन ताकत के बल पर बेदखल न तो स्वयं करे न अन्य से करावे एवं वादीगण की उक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 किसी प्रकार का कोई निर्माण न तो स्वयं करे न अन्य से करावे।

निर्णय आज दिनांक 19.04.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

19/04/2022

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.05.10 14:13:27 IST
Reason: SelfAttested